न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 127/2014 **दायरा दिनांक : 15.07.2014**

उनवान

रतनलाल आत्मज सुखलाल, जाति कोली, निवासी निपानियां, तहसील छबड़ा हाल निवासी ग्राम बडोदिया, तहसील पाटन, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– ओम प्रकाश आत्मज बाबूलाल, जाति तेली, निवासी निपानियां, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– कमलेश आत्मज बाबूलाल, जाति तेली, निवासी निपानियां, तहसील छबड़ा जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री एन के गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.11.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 274/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी द्वारा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के खिलाफ एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम बडोदिया, तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 261 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 262 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 264 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की कुल रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा स्थित है । अपीलांट जब झालावाड़ से अपने खेत पर देखरेख करने आया तब प्रतिवादी/रेस्पोडेंट वादी के खेत पर आये तथा भद्दी भद्दी गालियां तथा जान से मारने की धमकी दी तथा वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने की धमकी दी । इस कारण से रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के खिलाफ उक्त वाद प्रस्तुत किया जिसकी जवाबदेही व साक्ष्य के उपरान्त अपीलांट का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री खिलाफ कानून एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनसथ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 गलत निर्णित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की साक्ष्य पर बिना ध्यान दिये सरसरी तौर पर निर्णय एवं डिक्री पारित की है । वादी ने अपनी साक्ष्य से यह साबित किया था कि उक्त बेचान उसे धोखे में रखकर करवाया था । उक्त बेचान धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2014 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.05.2014 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई व सुप्रीम कोर्ट, आर आर टी की नजीरें रेस्पोडेंट द्वारा पेश की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपील के तथ्य सारहीन है तथा आर आर टी 2019(2) पेज 831 में यह उल्लेखित है कि पृथक अपील काउंटर क्लेम में दायर की जावे । अतः अपील निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा